from foreign countries for railway equipments and spare parts during the year 1971-72; and

(b) whether the supplies are being made according to schedule?]

**विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) निलंबित करार-देशों पर अप्रैल-जून, 1971 की अवधि में 272.000 डालर मूल्य के रेल माल-डिब्बों तथा फालतू पुर्जों का निर्यात किया गया है।

(ख) कभी-कभी पूर्तियां निश्चित कार्य-क्रम से पीछे रह गई हैं।

tUHE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) Railway wagons and spare parts worth $ 272.000 have been exported during the period April-June, 1971 against pending or orders.

(b) Supplies have sometimes fallen behind schedule.]

**पोस्टल आर्डरों का जारी किया जाना**

1017. **श्री राम सहाय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दस रुपये के पोस्टल आर्डरों की सीमा को समाप्त करने के लिये भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का संशोधन करने के पहले और बाद के तीन वर्षों में जारी किये गए पोस्टल आर्डरों सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

**[ISSUE OF POSTAL ORDERS**

1017. SHRI RAM SAHAI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state the
comparative figures of Postal Orders issued during three years before and after the Indian Post Office Act, 1898 was amended waiving the limit of Ten Rupee Postal Order '?]

**संचार मन्त्री (श्री एच० एन० बहुगुणा)**: भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम, 34) 29 अगस्त, 1970 को पारित किया गया था। इससे केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार मिल गया है कि वह यह निश्चित कर सकती है कि अधिक से अधिक कितनी रकम तक के पोस्टल आर्डर निकाले जा सकते हैं। तथापि केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान अधिक से अधिक 10 रुपये वाले पोस्टल आर्डरों से बड़ी रकम वाले पोस्टल आर्डर चालू करने के लिए अभी तक कोई अधिसूचना नहीं निकाली है। जब इससे ऊंची कीमत के 20,30,40,50 और 100 रुपये वाले पोस्टल आर्डर, जो अभी इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस में छप रहे हैं, छप कर जनता को बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो ऐसी अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव है। ऐसी स्थिति में इस अधिनियम में संशोधन से पहले के और बाद के तुलनात्मक आंकड़े इकट्ठे करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : The Indian Post Office Amendment Act, 1970 (Act 34 of 1970) empowering the Central Government to prescribe the maximum limit of amount for which Postal Orders may be issued was passed on 29-8-70. However, the Central Government have not so far issued any Notification under this Act introducing Postal Orders of denominations over the present limit of Rs. 10. Such a Notification is proposed to be issued only when the higher value denominations of Rs. 20, 30, 40, 50 and 100 which are now being printed at the India Security Press, are actually ready for sale to the public. In the circumstances, the question of collecting the figures of comparative sales before and after the amendment of the Act does not arise..]

**हिन्दी के तारों का भेजा जाना**

1018. **श्री राम सहाय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके विभाग द्वारा हिन्दी में तार भेजने के लिये जो प्रोत्साहन

[ ] English translation.